"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरगिला वेंकटेश्वर राव (Arigela Venkateswar Rao) पिता श्री ए. व्ही. कृष्णा राव, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-डी-162, एच.टी.पी.एस. कालोनी, सी.एस.ई.बी. वेस्ट, पोस्ट-जमनीपाली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व पूरा नाम अरगिला वेंकटेश्वर राव है. मेरे समस्त दस्तावेजों एवं बैंक एकाउन्ट तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों/स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश वेंकटेश्वर राव दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अरगिला वेंकटेश्वर राव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अरगिला वेंकटेश्वर राव पिता श्री ए.व्ही. कृष्णा राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

वेंकटेश्वर राव (Venkateswar Rao)
पिता-श्री ए.व्ही. कृष्णा राव
निवासी-क्वा. नं. डी-162, एच.टी.पी.एस.,
सी.एस.ई.बी. कालोनी, कोरबा वेस्ट (छ.ग.)

**नया नाम**

अरगिला वेंकटेश्वर राव (Arigela Venkateswar Rao)
पिता-श्री ए.व्ही. कृष्णा राव
निवासी-क्वा. नं. डी-162, एच.टी.पी.एस.,
सी.एस.ई.बी. कालोनी, कोरबा वेस्ट (छ.ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी एम. पुष्पा (Kumari M. Pushpa) पिता स्व. श्री के. माधवन (Late K. Madhavan), निवासी-क्वा. नं. 20, टाईप-2, पी. एण्ड टी. कालोनी, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मैंने दिनांक 31-07-2014 को अपनी सगी छोटी बहन श्रीमती भाग्यवती पति स्व. सुनील एन.टी. के पुत्र एन.एस. दीक्षांत (N. S. Dikshant) को पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से दत्तक ग्रहण की हूं. दत्तक बालक के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में उसके जन्म देने वाली माता श्रीमती भाग्यवती एवं पिता श्री सुनील एम.टी. का नाम दर्ज है. दत्तक ग्रहण के पश्चात् बालक के माता का नाम परिवर्तित कर नया नाम एन.एस. दीक्षांत माता का नाम कुमारी एम. पुष्पा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को एन.एस.दीक्षांत माता कुमारी एम. पुष्पा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

एन.एस.दीक्षांत
माता-श्रीमती भाग्यवती
पिता-स्व. सुनील एन.टी.
निवासी-क्वा. नं. 20, टाईप II, पी. एण्ड टी. कालोनी,
सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

एन.एस.दीक्षांत
माता-कुमारी एम. पुष्पा
निवासी-क्वा. नं. 20, टाईप II, पी. एण्ड टी. कालोनी,
सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार बरेठा पिता श्री मोती लाल बरेठा, आयु 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7 बी, सड़क-8, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे बी.एस.पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड, बैंक खाता, मेडिकल रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती पार्वती पति श्री रमेश कुमार बरेठा दर्ज है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पार्वती बरेठा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को श्रीमती पार्वती बरेठा पति श्री रमेश कुमार बरेठा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती पार्वती
पति-श्री रमेश कुमार बरेठा
निवासी-क्वा. नं. 7 बी, सड़क 8, सेक्टर-1, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

श्रीमती पार्वती बरेठा
पति-श्री रमेश कुमार बरेठा
निवासी-क्वा. नं. 7 बी, सड़क 8, सेक्टर-1, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओमनारायण आत्मज स्व. श्री लिलागर सिंह, उम्र 43 वर्ष, वर्तमान निवासी-22 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थायी पता ग्राम परेवाडीह, तहसील-पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक अंकसूची, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम ओमनारायण (Omnarayan) पिता लिलागर सिंह दर्ज है तथा मेरे राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम ओजेश (Ojesh) पिता लिलागर सिंह दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ओमनारायण रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ओमनारायण पिता स्व. श्री लिलागर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

ओजेश कुमार
पिता-श्री लिलागर सिंह
निवासी-ग्राम परेवाडीह, तहसील पाटन
जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

ओमनारायण
पिता-स्व. श्री लिलागर सिंह
निवासी-ग्राम परेवाडीह, तहसील पाटन
जिला दुर्ग (छ.ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पालन दास आत्मज स्व. श्री मेहत्तर दास, उम्र 56 वर्ष, वर्तमान निवासी-स्टेशन मरोदा, बजरंग पारा, थाना नेवई भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) स्थायी पता-म. नं. 145, वार्ड नं. 09, भोईना पारा, पो. लाटाबोड़, बालोद (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम पालन दास बंजारे (Palandas Banjare) आ. स्व. मेहत्तर दास बंजारे है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम पालन राम आ. गयाराम लिखा गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पालन दास बंजारे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पालन दास बंजारे आत्मज स्व. श्री मेहत्तर दास बंजारे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

पालन राम
पिता-गयाराम
वर्तमान निवासी-बजरंग पारा, स्टेशन मरोदा भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)
स्थायी पता-म.नं. 145, वार्ड नं. 09, भोईना पारा,
लाटाबोड़, बालोद (छ.ग.)

**नया नाम**

पालन दास बंजारे
पिता-स्व. मेहत्तर दास बंजारे
वर्तमान निवासी-बजरंग पारा, स्टेशन मरोदा भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)
स्थायी पता-म.नं. 145, वार्ड नं. 09, भोईना पारा,
लाटाबोड़, बालोद (छ.ग.)

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

**[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/1349/उपरं/परि./2016.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/1272/उपरं/विधि/2012 राजनांदगांव दिनांक 31-12-2012 के तहत् सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित अं. चौकी पंजीयन क्रमांक 472 दिनांक 20-9-2007 विकासखण्ड अं. चौकी जिला राजनांदगांव छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री डी.सी. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड अं. चौकी जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ.ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ :15-19/15-02/2012/03 नया रायपुर दिनांक 04-05-2012 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**डी. आर. ठाकुर,**
उप पंजीयक.

---

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2016/2858.—आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या. तखतपुर, पं. क्र. 3042 दिनांक 29-9-1976 विकासखण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक, द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा दिनांक 28-06-2016 को समिति की आमसभा में संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्ष 2015-16 तक का अंकेक्षण कराया जा चुका है. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक, के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या तखतपुर, पं. क्र. 3042 दिनांक 29-9-1976, विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्रमांक/परि./2016/2952.—उत्कर्ष दूर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चांटीडीह, वार्ड क्र. 44 बिलासपुर पं.क्र. 331 दिनांक 20-10-2014 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /उपबि/परि./2016/2789 दिनांक 20-10-2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, संस्था द्वारा कार्यालय में दिनांक 20-08-2016 को प्रस्तुत आम सभा की बैठक की कार्यवाही दिनांक 14-08-2016 में संस्था को बंद करने के लिये गये निर्णय अनुसार मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् उत्कर्ष दूर्गा महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चांटीडीह, वार्ड क्र. 44 बिलासपुर पं. क्र. 331 दिनांक 20-10-2014 विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्रमांक/परि./2016/2953.—छत्तीसगढ़ मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. मंगल स्मृति ग्राउण्ड तिलकनगर, बिलासपुर पं.क्र. 144 दिनांक 21-02-2003 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर द्वारा कार्यालय में दिनांक 05-11-2016 को प्रस्तुत संस्था की आम सभा की बैठक की कार्यवाही दिनांक 16-10-2016 में संस्था को प्रगति न होने एवं वित्तीय हानि में वृद्धि होने के कारण विघटन करने के लिये गये निर्णय अनुसार मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छत्तीसगढ़ मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. मंगल स्मृति ग्राउण्ड तिलकनगर बिलासपुर पं. क्र. 144 दिनांक 21-02-2003 विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2016

**[ छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./2016/2954.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2586 दिनांक 15-12-2014 के तहत् महिला साख सहकारी समिति मर्या. चांटीडीह, पंजीयन क्रमांक 214 दिनांक 04-03-2005 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बंदे वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयन सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के तहत महिला साख सहकारी समिति मर्या. चांटीडीह, पंजीयन क्रमांक 214 दिनांक 04-03-2005 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2016

**[ छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./2016/2955.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/196 दिनांक 20-01-2015 के तहत् वैष्णव देवी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, पंजीयन क्रमांक 3915 दिनांक 29-09-1998 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती सिमरन टेकचंदानी, उप अंकेक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयन सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के तहत वैष्णव देवी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, पंजीयन क्रमांक 3915 दिनांक 29-09-1998 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**दिलीप जायसवाल,**
उप पंजीयक.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.